पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया

लखनऊः 22 मार्च, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताहित संरक्षण विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया है। विधेयक राज्य विधान सभा से 8 मार्च, 2016 एवं विधान परिषद द्वारा 9 मार्च, 2016 को पारित हुआ था तथा 15 मार्च, 2016 को राज्यपाल की अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा राजभवन प्रेषित किया गया था।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताहित संरक्षण विधेयक, 2016 के प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 जो भारत का संविधान की सप्तम अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रगणित प्रविष्टि से शासित एक केन्द्रीय अधिनियम है, से असंगति रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 254 एवं 254(2) की अपेक्षानुसार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अतः राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया है।

अंजुम/ललित/राजभवन (116/38)